Annexure-IV

किरोड़ीमल शासकीय कला एवम् विज्ञान महाविद्यालय

रायगढ़(छ ग)

आचरण सहिंता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण सहिंता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालयों के नियमों का अक्षरसह पालन करना होगा। इसका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी महाविद्यालयीन वेश–भूषा में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेश–भूषा उतेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ में ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, गाली–गलौज का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षक, अधिकारियो एवं कर्मचारियों से नम्रता पूर्वक एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वस्च्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल विद्यार्थी जीवन–निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रवास की सीमाओं में किसी प्रकार का मादक पदार्थ तथा तम्बाकू का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में तम्बाकू का सेवन करना ,इधर–उधर थूकना, दीवालो को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असमाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आंतक फैला कर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दल बल, राजनीति से दूर रखेगा तथा मांगो का मनवाने के लिए कार्यकर्ता अथवा सामाचार पत्रों का सहारा नही लेगा।

अध्ययन संबंधित नियमः–

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. मे भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठनें की पात्रता नही होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से ना लौटाने पर महाविद्यालय में निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

Annexure IV

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में पंखों, लाइटों, फर्निचरों, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड करना दण्डात्मक आचरण माना जाएगा।

परीक्षा संबंधित नियमः–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थता के कारण आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयास गंभीर दुराचार माना जाएगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गम्भीर अपराध मे अभियुक्त पाया जाता है तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यदि छात्र रैगिंग मे लिप्त पाया जाता है तो छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नही करता है तो उसका नाम प्रवेश पंजी से काट दिया जाएगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन मे तथ्यों को छुपाएगा अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषण पत्र में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख होगा।